

पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर माण्डल

28/10  
उपखण्ड अधिकारी राजवटिया  
कार्य से उपस्थित नहीं / पयस्वित है।  
अंतः पत्रावली दिनांक 27/11/22 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/11  
पत्रावली पेश हुई, अभिवाचन द्वारा  
न्यायिक कार्य समाप्त/व्यवहार रखने  
से पत्रावली दिनांक 27/12 को पेश हो।

27/12  
पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण के  
सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाह पत्र छिपे  
गये। विपक्षीगण को छिपनी वार कक-रुफ कर आवाजे  
दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विकल्प एक  
तरफा कार्यवाही छिपे जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील  
प्रार्थिया का शाह पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक  
से लिखा जाकर शाह पत्र छिपा गया। पत्रावली फेसल शुमार  
होकर मन्वर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 201/22 प्रा-पत्र

मती रतनी नई ५० डिवागलान कुम्हार निवासी. हरणी तहसील. भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

मती केसर ५० डिवागलान कुम्हार निवासी - धुलखेड़ा तहसील. भीलवाड़ा [कौंस]  
(प्रारंभिक प्रा-पत्र (नलंग))

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम.....मेजा.....पटवार हल्का.....मेजा.....तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं.1141, 2771/1142 कुल किता.....02.....रकबा 0.88.53 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये मा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ओर के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.03.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का गे हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

हा प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेजा.....पटवार मेजा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1141, 2771/1142.....केता.....02.....रकबा 0.88.53.....हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख रु मेजा.....को.....500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने करान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

पि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार डी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा